

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त  
न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)  
(समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 163/17  
सह पठित याचिका क्रमांक 30/2018  
संस्थित दिनांक 19.12.16 एवं 24.01.18

1. महेश पुत्र गोविंददास लोधी आयु 26 साल
2. गोविंददास पुत्र जालम लोधी, आयु 52 वर्ष
3. विक्रम सिंह पुत्र प्रीतम लोधी आयु 30 वर्ष
4. राजेन्द्र पुत्र बलदेव लोधी आयु 43 वर्ष
5. मख्खनबाई पत्नि गोविंददास आयु 45 वर्ष
6. अर्चना पत्नि विक्रम लोधी आयु 26 वर्ष
7. प्रभा पत्नि राजेन्द्र लोधी आयु 40 वर्ष  
समस्त निवासीगण ग्राम बढेरा थाना चंदेरी  
जिला अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

**विरुद्ध**

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला  
अशोकनगर म.प्र.

अभियोजन

---

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा :- श्री इंदरीश पठान अधिवक्ता ।  
प्रत्यर्थी/अभियोजन द्वारा :- श्री मुकेश राजपूत अपर लोक अभियोजक ।  
परिवादी श्रीमती कृष्णा द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता ।

---

**-:: निर्णय ::-**

**(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)**

1. यह अपील परिवादी श्रीमती कृष्णाबाई की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका क्रमांक 30/2018 का भी निराकरण करेगी। याचिकाकर्ता की हैसियत में संयोजित परिवादी श्रीमती कृष्णाबाई को इसमें इसके पश्चात् परिवादी संबोधित किया जायेगा।

2. अपीलार्थीगण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्तगण संबोधित किया जाएगा) ने वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374 दंप्रसं. न्यायालय श्री जफर इकवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 95/2013 ई.फौ. में पारित निर्णय दिनांक 07.12.16 में पारित दंडादेश के विरुद्ध उक्त निर्णय एवं दंडाज्ञा को अपास्त कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है, जिस निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्तगण को धारा 498ए भादवि आरोप हेतु 06-06 माह के साधारण कारावास तथा 500-500/- रुपये के अर्थदंड से एवं व्यतिक्रम में 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास के दंड से तथा अभियुक्तगण महेश, विक्रम तथा राजेन्द्र को भादवि की धारा 323 के आरोप हेतु 500-500/- रुपये के अर्थदंड से तथा अर्थदंड अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया है, के विरुद्ध उसे अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की है जबकि **परिवादी ने एक याचिका क्रमांक 30/2018 इसी निर्णय एवं दंडाज्ञा के विरुद्ध अभियुक्तगण को प्रदत्त दंडादेश को अपर्याप्त दंडादेश होना कथित कर अभियुक्तगण को प्रदत्त दंडादेश को बढ़ाये जाने तथा धारा 506बी, 294, भादवि के अपराध हेतु अधिकतम अवधि के कारावास एवं अधिकतम अर्थदंड से दंडित कर, अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।**

3. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त में यह रहा है कि परिवादी श्रीमती कृष्णाबाई ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को परिवाद में संयोजित करते हुए परिवाद प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत किया था, जिसे प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा थाना प्रभारी चंदेरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित कर प्रेषित किया गया था इस परिवाद पर पुलिस थाना प्रभारी चंदेरी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 अभिलिखित कर अपराध क्रमांक 77/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 498ए, 506बी, 34 भादवि सह पठित धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अंकित कर अनुसंधान पूर्ण करते हुए अभियोग पत्र सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 की अंतर्वस्तु अनुसार श्री दिलीप गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा परिवाद पर आदेशित कर सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिवेदन दिनांक 05.04.13 को प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी चंदेरी को आदेशित किये जाने के पालन में इस तथ्यानुसार परिवाद को पंजीबद्ध किया गया कि, परिवादी का विवाह अभियुक्त क्रमांक 1 के साथ परिवाद प्रस्तुति से चार वर्ष पूर्व के साथ हिंदू विवाह रीति अनुसार हुआ था और उस समय परिवादी के पिता ने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज के रूप में गृहस्थी का संपूर्ण सामान तथा एक लाख रुपये नगद देकर परिवादी को अभियुक्त क्रमांक 1 के साथ विदा किया था और परिवादी को शादी

के कुछ समय बाद तक तो ठीक रखा गया फिर अभियुक्तगण क्रमांक 1 लगायत 7 द्वारा दहेज के लिए दो लाख रुपये की मांग की जाने लगी और परिवारी की सास मख्खन बाई ने दहेज में कम रुपये देने पर परिवारी के साथ कई बार गाली गलौंच कर मारपीट की और झूठे लांछन लगाकर अपने पुत्र महेश से भी उसकी मारपीट करायी।

6. परिवारी की जेठानी अर्चना और ककिया सास प्रभा परिवारी को ताने देती थी कि उसके पापा ने शादी में दो लाख रुपये और देने को कहा था वह रुपये परिवारी लाकर दे नहीं तो वे महेश की दूसरी शादी करेंगे और परिवारी को भगा देंगे। विक्रम राजेन्द्र, और गोविंद भी दहेज के लिए दो लाख रुपये लाने हेतु परिवारी को प्रताड़ित करने लगे और महेश से परिवारी की मारपीट करवाने लगे। जब इन बातों के बारे में परिवारी ने अपने पिता को बताया तो वे समझाने के लिए परिवारी की ससुराल ग्राम बढेरा गये तो परिवारी के ससुराल पक्ष ने परिवारी से उसे नहीं मिलने दिया और परिवारी को एक कमरे में बंद कर दिया और परिवारी के माता पिता से गाली गलौंच कर अभियुक्तगण झगड़ा करने लगे जिससे परिवारी के माता पिता वापस अपने गांव आ गये और चार पांच दिन बाद उनके रिस्तेदारों को लेकर पुनः परिवारी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे तब रिस्तेदारों ने अभियुक्तगण को समझाया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभियुक्तगण ने कहा कि शादी के समय कम दिये थे, वह रुपये उन्हें दे नहीं तो वे परिवारी की इसी तरह मारपीट करेंगे और खाना पीना भी बंद कर देंगे और ज्यादा करेंगे तो परिवारी का पता भी नहीं चलेगा और उसे जान से खत्म कर राजघाट बांध में फेंक आयेंगे। तब परिवारी के माता पिता व रिस्तेदार परिवारी को उनके साथ ग्राम मोहनपुर ले आये। इसके पश्चात् भी दो वर्ष से लगातार परिवारी के माता पिता परिवारी के ससुराल पक्ष को समझा रहे हैं कि वे लोग अपना व्यवहार सुधार लें और परिवारी को ठीक से रखें लेकिन परिवार प्रस्तुति दिनांक तक भी अभियुक्तगण के आचरण में कोई सुधार नहीं आया।

7. परिवारी मोहनपुर से पढ़ने के लिए बामौर जाती है तो महेश, राजेन्द्र और विक्रम उसका रास्ता रोककर छेड़छोड़ करवाते हैं और कई बार परिवारी को अन्य लोगों के माध्यम से मारपीट करने की धमकी भी दिलाते हैं। दिनांक 26.02.13 को हंसारी बस स्टैंड पर स्कूल जाते समय महेश, विक्रम और राजेन्द्र ने परिवारी का रास्ता रोककर उससे मारपीट की और रात में उसके घर आकर बोले कि वे दो लाख रुपये दे रहे हैं कि नहीं, नहीं तो वे परिवारी को ऐसे ही परेशान करेंगे। इसकी रिपोर्ट करने परिवारी दिनांक 27.02.13 को चंदेरी थाना पर गयी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और शिकायती आवेदन पत्र प्राप्ति देकर उसे भगा दिया गया। इस बात को लेकर महेश, विक्रम राजेन्द्र दिनांक 03.03.13 को दोबारा परिवारी के घर पहुंचे और परिवारी को मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे मना करने पर तीनों ने परिवारी की डंडे तथा चांटों से मारपीट की। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर परिवारी की मां व गांव के लोग इकट्ठा हो गये, उन्होंने बीच बचाव किया।

8. अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उसकी रिपोर्ट करने थाना चंदेरी पर परिवादी आयी तो उसकी सही रिपोर्ट नहीं लिखकर पुलिस ने अपनी मर्जी का अदम चैक काटकर परिवादी का मेडीकल परीक्षण कराकर परिवादी को थाने से भगा दिया। परिवादी दिनांक 04.03.13 को पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के वहां गयी फिर भी पुलिस ने परिवादी की नहीं सुनी और अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि अभियुक्तगण धन बल में सबल होकर उन्होंने पुलिस को रुपये देकर सांठगांठ कर रखी है, इसलिए परिवादी को न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा। परिवाद स्वीकार अभियुक्तगण क्रमांक 1 लगायत 7 के विरुद्ध धारा 294, 323, 498ए, 506बी, 34 भादसं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर दंडात्मक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

9. इसी परिवाद को अक्षरशः प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 में अंकित करने के उपरांत अनुसंधान के प्रक्रम पर पुलिस थाना चंदेरी की ओर से परिवादी का दिनांक 03.03.13 को मेडीकल परीक्षण प्रदर्श पी 13 कराया गया तथा साक्षीगण के कथन अंकित कर व अभियुक्तगण गिरफ्तारी पंचनामा अभिलिखित कर अनुसंधान पूर्ण होने पर उक्त परिवाद के संबंध में प्रतिवेदन अपराध क्रमांक 77/13 दिनांकित 14.03.13 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 323/34, 294, 506 बी भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, उन्हें झूठा फसाया जाना एवं बचाव में प्रविष्ट कराने पर बचाव साक्ष्य देना व्यक्त करने के उपरांत स्वयं अभियुक्त महेश को प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक 1 के रूप में विचारण न्यायालय में परीक्षण कराया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को धारा 498ए भादवि. के आरोप हेतु तथा अभियुक्तगण महेश, विक्रम व राजेन्द्र को भादवि की धारा 323/34 भादवि हेतु सिद्धदोष किया गया है, जिसके विरुद्ध ही अभियुक्तगण ने आपराधिक अपील क्रमांक 163/2016 तथा **परिवादी कृष्णाबाई** ने याचिका क्रमांक 30/2018 अभियुक्तगण को अधिकतम अवधि के कारावास तथा अधिकतम अर्थदंड से दंडित करने तथा धारा 506 बी एवं 294 भादवि के अपराध में भी अधिकतम अवधि के कारावास तथा अधिकतम अर्थदंड से दंडित कर अर्थदंड की राशि में से परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की है।

12. **अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दोषसिद्धि के विरुद्ध यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि** विद्वान विचारण

न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषसिद्धि मान्य करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को कभी भी परेशान नहीं किया गया, न ही उनके द्वारा परिवादी के साथ कभी भी मारपीट की गयी न ही दहेज की मांग अथवा छेड़छाड़ की गयी थी। परिवादी की ओर से असत्य कार्यवाहियां की गयी थी, जिस पर पुलिस ने पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया, किन्तु पश्चातवर्ती प्रक्रम पर परिवाद पत्र प्रस्तुत होने से पुलिस चंदेरी ने असत्य प्रकरण पंजीबद्ध किया था। परिवादी ने उसे चोटें आने के संबंध में अतिरंजित कथन दिये हैं। परिवादी के पिता की घटना के समय उपस्थिति कहीं भी दर्शित नहीं की गयी है न ही अदम चैक में उसकी उपस्थिति के संबंध में तथ्य हैं, किन्तु उसके द्वारा घटना को अतिरंजित कर कथन किये गये हैं। परिवादीगण का आशय अभियुक्तगण को परेशान करने का रहा है। वलीसिंह एवं घनश्याम से रंजिश होना दर्शित किया गया है। परिवादी की मां कुसुमबाई ने अन्य किसी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य परिवादी के साथ नहीं किया जाना दर्शित किया है और उसे मात्र महेश से शिकायत होना दर्शित किया है, जिससे परिवादी पक्ष एवं अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से रंजिश रहने का तथ्य प्रमाणित है।

13. साक्षीगण जगत सिंह एवं विश्राम सिंह परिवादी के गांव के ही हैं और उन्होंने अपने कथन में अन्य किसी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना नहीं करना कथित किया है और यह साक्षीगण परिवादी के गांव के होकर परिवादी से हितबद्ध होकर उनके कथन में घटना से विपरीत कथन कथित किये हैं और उन्हें अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। घटना स्थल के आसपास के किसी भी साक्षी के कथन अनुसंधान में पुलिस ने नहीं लिये हैं न ही कोई पूछताछ की है। यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसके दस्तावेजों तक को प्रमाणित नहीं कराया गया है तथा परिवादी की चोट के संबंध में चिकित्सक की मेडीकल रिपोर्ट से उसे प्रमाणित होना धारित कर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध मान्य करने में विचारण न्यायालय ने गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। अन्य अभिवचन भी समाहित कर अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा अपास्त कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

14. परिवादी कृष्णाबाई ने याचिका क्रमांक 30/2018 प्रस्तुत कर याचिका में यह तथ्य परिवेदित किये हैं कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 498ए भादवि के अपराध में 06-06 माह के कारावास तथा 500-500/- के अर्थदंड से एवं व्यतिक्रम में 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास के दंड से तथा अभियुक्तगण महेश, विक्रम तथा राजेन्द्र को भादवि की धारा 323 के आरोप हेतु 500-500/- रुपये के अर्थदंड से तथा अर्थदंड अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस के साधारण कारावास के न्यूनतम दंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है एवं गोविंददास, मख्खनबाई, प्रभा एवं अर्चना को धारा 323/34 भादवि के आरोप से एवं समस्त अभियुक्तगण को धारा 506 बी, 294 भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर साक्ष्य का सही ढंग से अवलोकन नहीं कर विधि के विपरीत निर्णय पारित किया है और उसी के विरुद्ध ही यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

15. याचिका के अभिवचन अनुसार परिवादी कृष्णाबाई का विवाह अभियुक्त क्रमांक 1 महेश के साथ हुआ था और विवाह उपरांत सभी अभियुक्तगण दहेज के लिए दो लाख रुपये की मांग करते हुए कम दहेज देने पर ताने देते और परिवादी को गाली गलौच कर मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देते थे इस आशय की रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना चंदेरी में किये जाने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.13 को परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच पुलिस थाना चंदेरी से न्यायालय द्वारा करायी जाकर जांच उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चंदेरी में अपराध क्रमांक 77/2013 अंतर्गत धारा 498ए, 294, 323, 506 बी, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 294, 323, 506 बी, 34 भादवि का आरोप विरचित किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी ने अपने कथन में पूर्ण रूपेण प्रमाणित किया है कि अभियुक्तगण ने उसे परेशान कर कई बार मारपीट की है और ताना मारते थे। अभियुक्तगण महेश, राजेन्द्र और विक्रम ने ग्राम हंसारी और मोहनपुर में भी पहुंचकर मारपीट की थी और दहेज की मांग की थी। परिवादी की मारपीट का मेडीकल परीक्षण भी हुआ था। साक्षी के कथनों में यह पूर्णतः प्रमाणित हुआ है कि समस्त अभियुक्तगण ने दहेज की मांग कर क्रूरता एवं प्रताड़ना कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी एवं गाली गलौच कर मारपीट करते थे। परिवादी कृष्णा के कथन अखंडनीय रहे हैं, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही ढंग से अवलोकन न करते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किया गया है, वह पीड़ित के साथ न्यायपूर्ण नहीं है।

16. अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 जयराम ने भी अपने कथन में स्पष्ट रूप से दर्शित किया है कि अभियुक्तगण दहेज की मांग कर परिवादी की मारपीट करते थे एवं उसके सामने घर पर आकर एवं ससुराल में भी मारपीट कर प्रताड़ित किया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 कुसुम ने भी दहेज में दो लाख रुपये की मांग करना गाली गलौच कर मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना का पूरी तरह समर्थन प्रमाणन किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्षी क्रमांक 4 एवं 5 के कथनों का भी सही ढंग से अवलोकन नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 विवेचक ने भी अपने कथन में विवेचना उपरांत अपराध करना प्रमाणित पाया जाना स्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 डॉ सिद्धार्थ के कथन से भी परिवादी को आयी हुई चार चोटें मारपीट एवं सख्त एवं बोथरी वस्तु से आने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य की संपुष्टि मेडीकल साक्ष्य एवं कथनों से होना एवं चोटें गंभीर प्रकृति की होना प्रमाणित हुआ है किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 323 भादवि के अपराध हेतु केवल अभियुक्तगण महेश, विक्रम एवं राजेश को सश्रम कारावास के दंडादेश से दंडित न कर मात्र 500-500/-रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं

है।

17<sup>ए</sup>

विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से धारा 498ए, 294, 323/34 506बी भादवि का अपराध पूर्णतः प्रमाणित हुआ है। परिवादी का वैवाहिक जीवन एवं भविष्य अभियुक्तगण द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। परिवादी का कथन अखंडनीय होकर साक्षीगण ने घटना एवं कथनों का समर्थन कर अपराध प्रमाणित किया है। विचारण न्यायालय में अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर श्रेणी एवं चोटें गंभीर प्रकृति की होना प्रमाणित हुआ है, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि की मंशा अनुसार अधिकतम शिक्षाप्रद दंड से दंडित न कर अभियुक्तगण के प्रति नरम रुख अपनाते हुए धारा 498ए के अपराध में तीन वर्ष के बजाय मात्र 6-6 माह के साधारण कारावास एवं 500-500/- रुपये के न्यूनतम अर्थदंड से एवं धारा 506बी, 294 भादवि के अपराध में दोषमुक्त कर धारा 323 भादवि के अपराध में एक वर्ष के कारावास के बजाय मात्र अभियुक्तगण महेश, विक्रम एवं राजेन्द्र को 500-500/- रुपये के न्यूनतम अर्थदंड से दंडित किया है, जो विधि विधान के अनुसार न्यायपूर्ण नहीं होकर अधिकतम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने योग्य है।

18. अपील श्रवण क्षेत्राधिकारिता एवं याचिका अवधि में प्रस्तुत किये जाने का अभिवचन समाहित कर याचिका स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री जफर इकवाल चंदेरी के न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 95/2013 का अभिलेख तलव कर उस प्रकरणमें पारित निर्णय दिनांक 07.12.16 अनुसार धारा 498ए, 323, भादवि के सिद्ध अपराध में न्यूनतम दंड एवं अल्प अर्थदंड की बजाय एवं धारा 506बी, 294, भादवि के अपराध में परिवादी तथा अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत दोनों ही याचिकाओं का निराकरण एकसाथ करते हुए अभियुक्तगण को विधि अनुसार न्यायपूर्ण अधिकतम अवधि के कारावास एवं अधिकतम अर्थदंड से दंडित कर अर्थदंड की राशि में से परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना याचिका में की गयी है।

19. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या परिवादी द्वारा प्रस्तुत याचिका के अभिवचनों के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलिखित करने में एवं अभियुक्तगण को दंड की समुचित मात्रा अधिरोपित करने में प्रक्रिया अथवा विधि की कोई सारवान त्रुटि कारित की है ?" यदि हां तो"
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन के अभिवचन के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को सिद्धदोष घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित की है ?

“यदि हां तो”

3. क्या तत्संबंधी सीमा तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 07.12.16 अपास्त किये जाने योग्य है?
4. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अधिरोपित दंडादेश विधि अनुकूल है ?

### साक्ष्य मूल्यांकन सह निश्कर्ष

#### अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 :-

20. तथ्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के प्रयोजन से तथा साक्ष्य का आकार निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने हेतु न्यून किये जाने के दृष्टिकोण से अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 का निराकरण समेकित रूप से किया जा रहा है।

21. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन “परिवादी” की ओर से अभियोजन साक्षीगण श्रीमती कृष्णा अ.सा.1, जयराम अ.सा.2, कुसुम अ.सा.3, जगत सिंह अ.सा.4, विक्रम सिंह अ.सा.5, अब्दुल हमीद अ.सा.6, डॉ. एस.पी. सिद्धार्थ अ.सा.7 का परीक्षण अंकित कराया गया है तथा अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में स्वयं अभियुक्त महेश प्रति.सा.1 ने अपना अभिकथन न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है।

22. परिवादी की ओर से याचिका के समर्थन में लिखित बहस तथा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मौखिक तर्क भी प्रस्तुत किये हैं, जबकि अभियुक्तगण की ओर से अपील के समर्थन में लिखित बहस तथा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं।

23. परिवादी द्वारा प्रस्तुत याचिका एवं अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील का समेकित निराकरण किये जाने के पूर्व उक्त दोनों ही याचिकाओं की विधिक स्थिति इस तथ्य के संबंध में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या परिवादी कृष्णाबाई द्वारा प्रस्तुत याचिका अभियुक्तगण को न्यूनतम अधिरोपित दंड को परिवर्धित करने के संबंध में **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 377 के अधीन** राज्य द्वारा प्रस्तुत अपर्याप्त दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील है अथवा इसी संहिता की धारा 397 के प्रावधानांतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका है ? और क्या यह याचिका अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये गये आरोपों के संबंध में धारा 378 दं.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील है, अथवा धारा 397 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका है ?

24. विद्वान विचारण न्यायालय के अल्मिलेख से प्रकट है कि विचारण न्यायालयके समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसे मजिस्ट्रेट ने पुलिस थाना



चंदेरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दिनांक 05.04.13 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया है, अर्थात् मजिस्ट्रेट का यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 एवं इसी संहिता की धारा 156“3” के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश है और इस आदेश के पालन में जहां पुलिस थाना चंदेरी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 को अभिलिखित करते हुए अनुसंधान करते हुए साक्ष्य को एकत्रित करते हुए अभियोग पत्र इसी संहिता की धारा 173“2”1” के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया है, तब यह प्रक्रियात्मक कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान अंतर्गत धारा 190“1”बी” दं.प्र.सं. के अधीन अनुसरण की गयी प्रक्रिया है और परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का परिवर्तन पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के रूप में हो गया है और इस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध की जाने वाली विचारण की कार्यवाही राज्य की ओर से संचालित की जाने वाली कार्यवाही हो गयी है और जहां पुलिस रिपोर्ट पर से प्रस्तुत मामले में कोई दोषमुक्ति या दोषसिद्धि न्यायालय द्वारा की गयी है तब इसके विरुद्ध धारा 377 अथवा 378 दं.प्र.सं के प्रावधानांतर्गत अपील करने का अधिकार मात्र राज्य को ही है।

25. यदि परिवादी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि के अधीन अधिरोपित दंड की मात्रा या दोनों से ही व्यथित है, तब उसके लिए एकमेव विधिक उपचार मात्र धारा 397 दं.प्र.सं के अधीन पुनरीक्षण ही है और उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका को पुनरीक्षण ही धारित किया जायेगा। न्याय दृष्टांत **श्रीधन शास्त्री बनाम प्रकाशवती 1990“2” मध्य प्रदेश वीकली नोट 185** में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह मार्गदर्शक विधि अभिनिर्देशित की है कि यदि कोई दोषमुक्ति को चुनौति देते हुए राज्य द्वारा अपील नहीं की गयी है तो प्रायवेट पक्षकार इसे पुनरीक्षण में चुनौति प्रदत्त कर सकता है।

26. प्रकट है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वयं में ही पुनरीक्षण है। यह याचिका अपील की श्रेणी में समाहित राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील की कोटि में आने वाला अपील ज्ञापन नहीं है। पुनरीक्षण के अधीन न्याय दृष्टांत **मुन्नालाल बनाम हरीसिंह 1984 एम पी वीकली नोट 187** में प्रदत्त मार्गदर्शक विधि अनुसार पुनरीक्षण में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तथा न्याय दृष्टांत **चंद्रशेखर बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1998“1” एम पी वीकली नोट 158** में भी यही मार्गदर्शक विधि पुनः निर्देशित की गयी है कि पुनरीक्षण में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन अनुमत नहीं है। पुनरीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा न्याय दृष्टांत **जागेश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ एम पी 1986“2” मध्य प्रदेश वीकली नोट 22** में यह मार्गदर्शक विधि अभिकथित की गयी है कि पुनरीक्षण के प्रक्रम पर यह प्रश्न आलोचना करने हेतु नहीं खुला होता है कि किसी साक्षी पर विश्वास किया गया है अथवा अविश्वास किया गया है।

27. पुनरीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होकर मात्र न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक अथवा विधिक रूप से कारित किसी सारवान त्रुटि के परिमार्जन किये जाने

तक ही विस्तृत है। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा याचिका में अभिवाचित अधिकांश तथ्य स्वमेव ही पुनरीक्षण की कोर्ट के बाहर के तथ्य हैं। जहां तक दंड की मात्रा अधिरोपित किये जाने में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को परिवादी द्वारा आक्षेपित किये जाने का तथ्य है, दंड अधिरोपित किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों, आहत को उपजी चोटें एवं उसकी प्रकृति तथा अन्य कारकों पर निर्भर मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार की विषय वस्तु है और इस परिप्रेक्ष्य में यदि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को सूक्ष्मता से उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के आलोक में निष्कर्षित किया जाये तो प्रकट है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तीन अलग-अलग वृत्तांतों के संबंध में समेकित रूप से प्रस्तुत किया गया परिवाद है—

1. परिवाद का पैरा क्रमांक 1 लगायत 3 की अंतर्वस्तु परिवादी द्वारा अभिकथित दहेज प्रताड़ना के तथ्यों से संबद्ध है।

2. पैरा क्रमांक 4 की अंतर्वस्तु परिवादी का रास्ता रोककर छेड़छाड़ किये जाने व अन्य लोगों के माध्यम से मारपीट करने की धमकी अभियुक्तगण महेश, राजेन्द्र एवं विक्रम द्वारा दिलाये जाने के एक अलग वृत्तांत से संबद्ध तथ्य है तथा

3. परिवाद के पैरा क्रमांक 5 की अंतर्वस्तु दिनांक 26.02.13 को अभियुक्तगण महेश, विक्रम व राजेन्द्र द्वारा हंसारी बस स्टैंड पर स्कूल जाते समय रास्ता रोककर परिवादी से मारपीट करने और उसी रात को घर पर आकर यह कहने कि तुम दो लाख रुपये दे रहे हो कि नहीं तो हम तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे, उक्त तथ्य विषयक तथा दिनांक 03.03.13 को इन्हीं अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी के घर पहुंचकर उसे गाली गलौच कर उसे डंडे से मारपीट करने के तथ्यों के संबंध में है।

28. पैरा क्रमांक 4 एवं 5 की अंतर्वस्तु के संबंध में अभिलेख से ही प्रकट है कि स्वयं परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील क्रमांक 07/2017 में दिनांक 24.01.18 को पारित किया गया निर्णय अछरोनी से मोहनपुर आते समय परिवादी के साथ कारित घटना के संबंध में न्यायालय द्वारा निराकृत कर दिया गया प्रकरण है तथा दिनांक 03.03.13 को कारित घटना के संबंध में इसी आक्षेपित निर्णय दिनांक 07.12.16 में विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय की कंडिका 10 में दिनांक 03.03.13 को किये गये परिवादी के मेडीकल परीक्षण का साक्ष्य मूल्यांकन कर और निर्णय की कंडिका 12 में इस मेडीकल परीक्षण को प्रदर्श पी 17 होना अर्थात् दिनांक 03.03.13 का प्रतिवेदन होना धारित किया है अर्थात् उक्त तथ्य का भी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर निराकरण कर दिया गया है और उक्त तथ्य निराकरण हेतु अवशेषित नहीं है। मात्र उक्त निराकरण से अधिरोपित दंड के संबंध में ही परिवादी को व्यथा है और चूंकि उक्त निराकरण तथा परिवाद की कंडिका 1 लगायत 3 के तथ्यों के अधीन अभियुक्तगण को अधिरोपित दंड की मात्रा से ही उत्पन्न व्यथा से संबंधित है तो उक्त तथ्यों के अस्तित्ववान होने अथवा नहीं होने के तथ्य के संबंध में पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के प्रक्रम पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन उपरिवर्णित न्याय दृष्टांतों के आलोक में नहीं किया जा सकता।

29. इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण याचिका में परिवादी ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से परिवेदित नहीं किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णयों को पारित करने में कौन-सी प्रक्रियात्मक त्रुटि अथवा सारवान विधिक त्रुटि कारित की है।

30. अतः उक्त तथ्यों के अभाव में परिवादी द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वमेव ही नामंजूर किये जाने योग्य प्रकट हो जाती है।

31. अब अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन की विधिक स्थिति पर विचार किया जाये तो अभियुक्तगण द्वारा वर्तमान अपील उन्हें अधिरोपित दोषसिद्धि तथा दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374''3''क'' के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत की गयी नियमित अपील है और इस अपील को श्रवण किये जाने में अपील न्यायालय की शक्तियों का उपबंध धारा 386''ख''1,2,3 में अभिवर्णित है और धारा 386''ख''3'' के परन्तुक अनुसार निष्कर्ष में परिवर्तन या परिमाण में परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि, उससे दंड में वृद्धि हो जाये। अर्थात् अपीलीय न्यायालय की शक्ति का प्रयोग दोषसिद्धि से अपील की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता।

32. यह परिसीमा अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड को दोषसिद्धि से की गयी अपील में बढ़ाने से रोकने वाली परिसीमा है। और धारा 386 दंप्रसं के प्रावधानानुसार दोषसिद्धि से की गयी अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने में कोई विधिक वर्जना नहीं है।

33. उक्त विधिक स्थिति के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षण करायी गयी अभियोगी श्रीमती कृष्णा अ.सा.1 अपने मुख्य परीक्षण में कंडिका 1 में अभिकथन द्वारा यह तथ्य प्रकट करती है कि उसका विवाह उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 19.11.14 से पांच साढ़े पांच वर्ष पूर्व ग्राम बढेरा के महेश के साथ होने के उपरांत ससुराल में अभियुक्तगण ने उसे अच्छी तरह रखा और वह शादी के बाद एक वर्ष तक ठीक से अपने ससुराल में रही। शादी के समय उसके पिता ने एक लाख रुपये नगद और घर गृहस्थी का सामान उसे दहेज में दिया था फिर उसे महेश, सास मख्खनबाई, ससुर गोविंददास, जेठानी अर्चना तथा श्रीमती प्रभा और राजेन्द्र, विक्रम परेशान करने लगे अभियुक्तगण महेश से उसकी मारपीट कराते थे और उसे ताना मारते थे कि तुम दो लाख रुपये नहीं लेकर आओगी तो तुम्हें मारपीट करेंगे और महेश की दूसरी शादी कर देंगे। उसके बाद जब उसके पापा उससे मिलने गये तो अभियोगी को उससे मिलने नहीं दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके पश्चात् आठ दस दिन बाद जब उसके पापा रिस्तेदारों को लेकर ससुराल गये और ससुराल वालों को समझाया कि ठीक से रखा, फिर जब अभियुक्तगण नहीं माने तो उसके पिता और रिस्तेदार उसे मायके मोहनपुर लाने लगे।

34. अभियोगी का मुख्य परीक्षण में दहेज प्रताड़ना के संबंध में उक्त अभिकथित कथन उस विशिष्ट दिनांक, माह और सन को स्वयं में स्पष्ट रूपेण प्रकट नहीं करता कि किस विशिष्ट दिनांकों पर, किन विशिष्ट माहों में और किन विशिष्ट सनों में अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को दहेज हेतु अभियुक्त महेश द्वारा मारपीट करायी गयी और अभियोगी को दहेज के दो लाख रुपये लाने हेतु परेशान करने और महेश की दूसरी शादी कर देने का ताना मारा गया न ही अभियोगी का मुख्य परीक्षण में ही ऐसा कोई स्पष्ट अभिकथन है कि उसके पिताजी किस दिनांक को कौन-से माह में और कौन-से वर्ष में उससे मिलने के लिए आये तो अभियुक्तगण ने उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया और कमरे में बंद कर दिया न ही मुख्य परीक्षण में अभियोगी का ऐसा कोई स्पष्ट अभिकथन उन रिस्तेदारों के नामों को अभिलेख पर विशिष्टतः प्रकट करने के संबंध में है कि वह कौन रिस्तेदार थे जो उसके पिता के साथ उसकी ससुराल में गये और ससुराल वालों को समझाया था।

35. अर्थात् अभियोगी का मुख्य परीक्षण की अभिकथन ही प्रश्नगत घटना के विशिष्ट समयों को या अभियुक्तगण द्वारा दहेज प्रताड़ना कारित किये जाने हेतु प्रयुक्त किये गये उन विशिष्ट दिनांकों के आचरण को अभिलेख पर प्रकट किये जाने के संबंध में ही मौन है और अभियोगी का मुख्य परीक्षण का अभिकथन मात्र एक सामान्य वृत्तांत के रूप में अभिकथित ऐसा कथन होना प्रकट होता है, जो प्रश्नगत घटना के दिन, दिनांकों और विशिष्ट समयों को और घटना से परिचित ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को जो कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में उपबंधित** चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य से प्रमाणन कराने की मंशा से परे मात्र एक सामान्य वृत्तांत के रूप में अभिकथित कथन है। उक्त तथ्य पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को दहेज प्रताड़ना हेतु सिद्धदोष निष्कर्षित कर दंडाज्ञा अधिरोपित करने में कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

36. यहां तक कि स्वयं अभियोगी श्रीमती कृष्णा अ.सा.1 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में इस तथ्य को अभिकथित करती है कि अभियुक्तगण मख्खनबाई, गोविंददास, तथा जेठानी अर्चना और प्रभा तथ विक्रम उसकी मारपीट नहीं करते थे, ताने मारते थे, लेकिन मारपीट यही करवाते थे।

37. यदि अभियुक्त महेश के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण उसकी मारपीट नहीं कर अभियुक्त महेश से अभियोगी की मारपीट करवाते थे और महेश के माध्यम से ही उसे परेशान करवाते थे और अभियोगी के कथनानुसार वह शादी के बाद दो साल तक ससुराल में रही और एक साल बाद उसे परेशान किया जाने लगा और उस एक साल में उसके साथ कई बार मारपीट हुई और प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 के तथ्यानुसार उसने मारपीट करवाने की और अभियुक्तगण द्वारा उससे दो लाख रुपये मांग किये जाने की सारी बातें उसके पिता को बतायी थी तो उसके पिता ने अथवा स्वयं अभियोगी ने उस एक साल की अवधि में अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना संबंधी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा अन्य कोई कार्यवाही अभियुक्तगण के विरुद्ध

क्यों अंकित नहीं करायी इस तथ्य का स्पष्टीकरण भी अभियोगी के मुख्य परीक्षण में अभिकथित कथन को सत्य से दूर करने हेतु एक कारक है।

38. स्वयं साक्षी जयराम अ.सा.2 जो कि अभियोगी श्रीमती कृष्णा का पिता है, अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करना शुरू कर अभियुक्त उसके दामाद द्वारा उसकी लड़की को दहेज के पैसे लाने के लिए मारपीट करना और अन्य अभियुक्तगण द्वारा ऐसा करने के लिए उसे उकसाना अभिकथित करता है और साथ ही यह तथ्य भी प्रकट करता है कि उसकी लड़की के मायके मोहनपुर में आने के पश्चात् अभियुक्त महेश ने दूसरी शादी कर ली है।

39. साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में इस तथ्य को अभिकथित करता है कि वह अपनी लड़की को उसकी ससुराल भेजने से मना नहीं करता किन्तु अभियुक्त महेश ने उसकी लड़की के अलावा दो और शादियां कर ली हैं इसलिए वह उसे नहीं भेजना चाहता और अभियुक्त महेश ने दूसरी शादी स्वयं इस साक्षी के गांव मोहनपुर की लड़की से की है और इस लड़की का नाम रचनाबाई होना भी यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में प्रकट करता है। अर्थात् अभियोगी श्रीमती कृष्णा का अभियुक्त महेश से विलग होने का एक कारण रचनाबाई से कथित शादी कर लेना भी इस साक्षी कथन से ध्वनित होता है, किन्तु रचनाबाई से शादी होने के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियुक्त महेश के विरुद्ध अथवा उस शादी में अन्य अभियुक्तगण द्वारा महेश को सहयोग द्वारा सहभागिता किये जाने के तथ्य के संबंध में किसी साक्षी की साक्ष्य अथवा कोई छायाचित्र या अन्य दस्तावेज न तो अभिलेख पर अभियोगी की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं और न ही ग्राम मोहनपुर के ऐसे किसी व्यक्ति की ही साक्ष्य अभिलेख पर परीक्षण के रूप में अंकित करायी है जो इस तथ्य को प्रकट कर सके कि अभियुक्त महेश का विवाह ग्राम मोहनपुर की ही रचनाबाई नाम की किसी लड़की से हुआ है, वहां उक्त साक्ष्य का अभाव भी दहेज प्रताड़ना के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सत्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारक के रूप में विद्यमान होकर अभियोजन प्रकरण की सत्यता को समाप्त करता है। इस तथ्य पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य मूल्यांकन के दौरान कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

40. अभियोजन साक्षी कुसुम अ.सा.3 जो कि अभियोगी श्रीमती कृष्णा की माता है, मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी से दहेज की मांग कर रुपये कम देने और इसलिए पैसे की मांग करने का अभिकथन करती है और प्रतिपरीक्षण में कंडिका 3 में इस तथ्य को प्रकट करती है कि उसकी लड़की दो साल तक अच्छे से रही थी, उसकी लड़की को कोई बच्चा नहीं हुआ है उनसे अभियुक्तगण ने कुछ नहीं कहा, वे तो उसकी लड़की को ही परेशान करते थे एवं मांग करते थे उनकी लड़की मोहनपुर आकर ही उन्हें बताती थी और वे समझाकर लड़की को भेज देते थे **उन्होंने कभी पंचायत नहीं बैठायी थी अभियुक्तगण ने पंचायत जोड़ी थी और पंचों ने**

कहा था कि चैत्र कटने पर निपटारा कर देंगे।

41. अर्थात् स्वयं अभियोगी के माता के उक्त कथन से प्रकट है कि उभयपक्ष के मध्य किसी पंचायत के माध्यम से कोई विषय तय किये जाने हेतु पंचायत बैठायी गयी थी। अभियोजन की ओर से ऐसी पंचायत में सम्मिलित होने वाले ऐसे किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया है, जो इस तथ्य को अभिलेख पर प्रकट कर सके कि क्या कोई ऐसी पंचायत अभियुक्तगण द्वारा बैठायी गयी थी और क्या ऐसी पंचायत बैठायी गयी थी तो यह पंचायत दहेज प्रताड़ना संबंध में उभयपक्ष के मध्य बातचीत किये जाने हेतु बैठायी गयी थी अथवा अन्य किसी विषय पर विवाद होने से बैठायी गयी थी उक्त तथ्य का अभाव भी एक ऐसा तथ्य है, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने ध्यान आकर्षित नहीं किया है और उक्त अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियोजन प्रकरण की सत्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

42. इसके अतिरिक्त स्वयं अभियोजन साक्षी कुसुम अ.सा.4 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में इस तथ्य को प्रकट करती है कि उसकी लड़की जब से पढ़ने जाने लगी है तब से ससुराल कभी नहीं गयी अब उनकी बच्ची अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। महेश ने मोहनपुर के केरन की लड़की रचना से दूसरी शादी कर ली है उन्हें खास शिकायत आरोपी मुकेश से है और किसी से नहीं है। अर्थात् प्रतिपरीक्षण का इस साक्षी का यह अभिकथन तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 का यह अभिकथन की उसकी लड़की दो साल तक ससुराल में अच्छे से रही और उसकी लड़की को कोई बच्चा नहीं हुआ है, इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उभयपक्ष के मध्य वैमनस्य का कारण दहेज प्रताड़ना नहीं होकर अन्य कोई अलग ही विषय है। स्वयं यह साक्षी अभियोगी की माता है और स्वयं प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य प्रकट करती है कि उसे खास शिकायत आरोपी मुकेश से है और किसी से नहीं है और इस शिकायत का कारण भी वह प्रकट करती है कि महेश ने मोहनपुर के केरन की लड़की रचना से दूसरी शादी कर ली है। उक्त तथ्य दहेज प्रताड़ना के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सत्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, जिस पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य मूल्यांकन के दौरान कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

43. न्याय दृष्टांत आई.श्यामबला बनाम सुन्दर ए आई आर 1991 मद्रास 29 में कूरता प्रमाणन के संबंध में यह मार्गदर्शक विधि अभिकथित की गयी है कि कूरता के अभिकथनों का न केवल अभिकथन किया जाना चाहिए, अपितु उन्हें सिद्ध भी किया जाना चाहिए। न्याय दृष्टांत रमैया उर्फ रमा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक ए आई आर 2014 सु.को. 3388 में कूरता के प्रमाणन हेतु यह मार्गदर्शक विधि अभिकथित की गयी है कि जहां कूरता के प्रमाणन हेतु अभियुक्त के विरुद्ध दहेज की मांग के संबंध में साक्षीगण द्वारा कोई विशिष्ट लांछन नहीं है यहां तक कि स्वयं साक्षी की मां का भी यह अभिकथन नहीं है कि उसकी पुत्री को दहेज

की रकम नहीं दिये जाने पर प्रताड़ित किया गया था, वहां दहेज की मांग और प्रताड़ना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणन नहीं होती और ऐसी स्थिति में अभियुक्त का धारा 498ए भादवि के अधीन की गयी दोषसिद्धि उचित नहीं है।

44. उक्त न्याय दृष्टांतों के आलोक में स्वयं अभियोगी तथा उसके माता पिता के अभिकथन ध्वनिमत से इस तथ्य को प्रकट नहीं करते कि किन दिनाकों को किन-किन माह में, किस-किस वर्ष में अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को दहेज की मांग करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, जबकि इसके विपरीत वे अपने प्रतिपरीक्षण के अभिकथन में ऐसे तथ्यों को प्रकट करते हैं, जो अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के तथ्य की सत्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर अभियोजन प्रकरण की सत्यता के संबंध में एक संदेह उत्पन्न करते हैं।

45. अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये स्वतंत्र साक्षी जगत सिंह अ.सा.4 जो कि ग्राम मोहनपुर का ही निवासी है, अपने कथन में अभियोगी के कथन का कोई समर्थन अभिकथित नहीं करता। अभियोजन साक्षी विश्राम सिंह अ.सा.5 अंशारी बस स्टैंड पर कृष्णाबाई के साथ घटित घटना के संबंध में परीक्षण कराया गया साक्षी है, यह साक्षी सूचक प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य के संबंध में अभियोगी का कोई समर्थन नहीं करता कि दहेज के रुपये लाने के लिए अभियुक्त महेश ने रचनाबाई से कहा था और महेश, विक्रम और राजेन्द्र कृष्णाबाई को रुपये नहीं देने के कारण परेशान करते थे। अर्थात् उक्त स्वतंत्र साक्षीगण जो कि स्वयं अभियोजन की ओर से ही प्रस्तुत साक्षीगण हैं, इसके उपरांत भी यह साक्षीगण अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन अपने कथन में अभिकथित नहीं करते।

46. न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरुमीत सिंह ए आई आर 2561** में पति के नातेदार शब्दाभिव्यक्ति को स्पष्ट कर अभिनिर्देशित किया गया है कि इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कि पति से खून, विवाह या दत्तक द्वारा संबद्ध हो। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद तथा विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.16 के शीर्षक में विक्रम प्रीतम लोधी का पुत्र है, अर्चना जिसे कि परिवादी अपनी जेठानी होना अभिकथित करती है, विक्रम की पत्नि है। श्रीमती प्रभा राजेन्द्र लोधी की पत्नि है उक्त समस्त व्यक्तियों का एकसाथ नातेदारी से संबद्ध होकर एक ही परिवार में संयुक्त परिवार का गठन कर एकसाथ रहने के संबंध में परिवादी की ओर से न तो उनका कोई राशन कार्ड अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, न ही किसी साक्षी का अभिकथन इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है। उक्त समस्त व्यक्ति परिवादी के पति से संबद्ध होकर नातेदारों की श्रेणी में समाहित व्यक्ति हैं। उक्त तथ्य पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

47. जहां तक परिवादी का यह अभिकथन कि, अन्य अभियुक्तगण उसे ताने मारते थे मात्र ताने मारना कूरता की श्रेणी में समाहित अपराध नहीं है। इसके

अतिरिक्त जहां अभियोगी का अभिकथन कि अन्य अभियुक्तगण महेश को परिवादी को मारपीट करने हेतु उकसाते थे तो ऐसे उकसावे को प्रमाणित करने हेतु भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। यहां तक कि दहेज के संबंध में अभियुक्त महेश द्वारा अभियोगीसे मारपीट करने के तथ्य के संबंध में भी किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है न ही किसी ऐसे स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन की ओर से अभिलेख पर परीक्षण कराया गया है, जो परिवादी के दूर अथवा निकट की रिस्तेदारी में होकर, जिनसे परिवादी अथवा उसके माता पिता ने परिवादी को अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान या प्रताड़ित किये जाने के तथ्य के विषय में कोई बात बतायी हो अथवा तथ्य संसूचित किये हो।

48. उक्त समस्त तथ्यों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं कर अभियुक्तगण को धारा 498ए भादवि के अंतर्गत सिद्धदोष घोषित कर दंडाज्ञा अधिरोपित करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से इस सीमा तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 07.12.16 को अपास्त कर अभियुक्तगण महेश, गोविंद, विक्रम, राजेन्द्र, श्रीमती मख्खनबाई, श्रीमती अर्चना व श्रीमती प्रभा को धारा 498ए भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

49. जहां तक परिवादी द्वारा परिवाद में पैरा क्रमांक 5 में दिनांक 03.03.13 की घटना के संबंध में परिवेदित तथ्यों के संबंध में अभियुक्तगण महेश, विक्रम एवं राजेन्द्र को भारतीय दंड विधान की धारा 323 के अपराध में सिद्धदोष घोषित कर 500—500/— रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने के तथ्य की विधि मान्यता का प्रश्न है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय की कंडिका 10 में उक्त तथ्य के प्रमाणन हेतु अभियोजन साक्षी डॉ. एस.पी. सिद्धार्थ अ.सा.3 द्वारा दिनांक 03.03.13 को परिवादी कृष्णाबाई का मेडीकल परीक्षण किये जाने के उपरांत अंकित किये गये चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 17 की अंतर्वस्तु के संबंध में अपना ध्यान आकर्षित किया है और उक्त साक्ष्य मूल्यांकन के उपरांत ही उन्हें धारा 323 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु उन्हें सिद्धदोष घोषित किया है, यह निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य से विधि के अनुकूल दिया गया निष्कर्ष होना प्रकट है।

50. जहां तक पुनरीक्षण के तथ्यानुसार समस्त अभियुक्तगण को धारा 506बी, 294 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किये जाने और अभियुक्तगण गोविंददास, मख्खनबाई आदि को धारा 323/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किये जाने की विधि मान्यता का प्रश्न है, स्वयं परिवादी तथा उसके पिता जगराम एवं माता कुसुम के प्रतिपरीक्षण के अभिकथन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से कोई मारपीट की गयी, गाली दी गयी अथवा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की गयी उक्त दोषमुक्ति के निष्कर्ष को भी विधि के विपरीत होना नहीं कहा जा सकता।

51. जहां तक अभियुक्तगण महेश, राजेन्द्र और विक्रम को धारा 323



भादवि के आरोप में 500—500/— रुपये के अर्थदंड को वर्धित करने हेतु पुनरीक्षण में परिवेदित तथ्य का प्रश्न है, **दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 की धारा 374“3”क” के प्रावधान के अधीन** दोषसिद्धि से की गयी अपील में इसी संहिता की **धारा 386“ख”3” के परन्तुक की वर्जना अनुसार** दंड के स्वरूप अथवा परिमाण में ऐसा परिवर्तन अपील न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, जिससे की दंड में वृद्धि हो जाये।

52. ऐसी स्थिति विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण महेश, विक्रम एवं राजेन्द्र पर धारा 323 भादवि के आरोप हेतु अधिरोपित दंडादेश भी विधि अनुकूल होने से उसकी पुष्टि की जाती है और तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 07.12.16 को इस सीमा तक पुष्ट किया जाता है।

53. अतः सकल विवेचना से परिवादी श्रीमती कृष्णा की ओर से प्रस्तुत याचिका विधि के अधीन पोषणीय नहीं होने से नामंजूर की जाती है **अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील अंशतः स्वीकार कर समस्त अभियुक्तगण को धारा 498ए भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण महेश, विक्रम एवं राजेन्द्र को धारा 323 भादवि के आरोप हेतु पारित निर्णय एवं उक्त धारा 323 भादवि हेतु अधिरोपित दंडादेश को पुष्ट किया जाता है।**

54. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

55. अभियुक्तगण द्वारा धारा 498ए भादवि के आरोप हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायी गयी अर्थदंड की राशि अपील अवधि पश्चात, अपील न होने की दशा में उन्हें वापस लौटायी जाये।

56. उक्तानुसार अपील निराकृत की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया  
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,  
अशोकनगर (म.प्र.)  
दिनांक— 28.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश  
अशोकनगर (म.प्र.)